(9)

संख्या-168 / वि0अनु-5 / मनो0कर / 2003

प्रेषक,

एल0एम0 पन्त,
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल ।

वित्त अनुभाग-5

देहरादून: दिनांक 31 मई 2003

विषयः- स्वपन फिल्मस द्वारा निर्मित गढ़वाली/कुमॉयुनी फिल्म 'तेरी सौ' को मनोरंजन कर से मुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0 प्र0 आमोद और प्रणकर अधिनियम-1979 (यथा उत्तरांचल में लागू) की धारा-11 (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री राज्यपाल महोदय एतद्द्वारा यह आदेश देते है कि संदर्भगत फिल्म 'तेरी सौ' के प्रदर्शन इस आदेश की तिथि से एक वर्ष के लिये निम्नलिखित शर्तों के अधीन शत-प्रतिशत मनोरंजन कर से मुक्त होगें.-

1- उपर्युक्त फिल्म के एक समय में अधिकतम तीन प्रिंट पूरे प्रदेश में चलाये जायेगे, तथा एक जनपद मे एक समय में केवल एक ही प्रिंट प्रदर्शित किया जायेगा।

2- सिनेमा स्वामी द्वारा विभिन्न श्रेणियों मे प्रचलित सामान्य प्रवेश शुल्क की दरों में कोई वृद्धि नही की जायेगी, और न ही उसमें आसन क्षमता में परिवर्तन किया जायेगा।

3- इस फिल्म के साथ कोई अन्य फिल्म नहीं दिखायी जायेगी, सिवाय एप्रुव्ड (Approved) फिल्म के, जैसे कि यू0 पी0 सिनेमाटोग्राफ रूल्स,1951 के परिशिष्ट-1 के सिलेगा लाइसेन्स प्रतिबन्ध संख्या (2) में उल्लिखित है, लेकिन नये आने वाले फिल्मों के ट्रेलर तथा विज्ञापन आदि के दिखाये जाने की अनुमति होगी।

2- विषयगत संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे सिनेमा का स्वामी, जिसमें फिल्म का कर से मुक्त प्रदर्शन किया जाय, उ0 प्र0 आमोद और प्रणकर नियमावली-1981 (यथा उत्तरांचल में लागू) में निर्धारित प्रपत्र के अनुसार विहित रूप से प्रत्येक प्रदर्शन के लिए निर्धारित समय में नियमित रूप से तैयार करेगा, और इस सम्बन्ध में उपर्युक्त नियमावली के सागरत सम्बन्धित नियम उसी प्रकार से लागू होंगे, जिस प्रकार सामान्य फिल्मों के प्रदर्शनों मे लागू होते है। इसके अतिरिक्त कर मुक्त